प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1257/2003

याचिकाकर्तागण : डॉ पी.एस.श्रीवास्तव एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश के लिए सूचीबद्ध : 09/07/2009

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1257/2003

याचिकाकर्तागण

1. डॉ पी.एस.श्रीवास्तवा, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता स्व. श्री एस.पी.श्रीवास्तवा, व्यवसाय सहायक शल्य चिकित्सक, प्रभारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, राजनांगाव, निवासी डी-13 चंद्र कालोनी, बसंतपुर मार्ग, राजनांगाव (छ.ग)
2. डॉ आर.पी.सोनी, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता श्री आर.बी.सोनी, व्यवसाय उप निर्देशक (प्रभारी) पशु चिकित्सा सेवाए, महासमुंद, निवासी छत्तीसगढ़ लाज, रूम क्र. 104, महासमुंद (छ.ग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छ.ग राज्य, द्वारा सचिव, पशु चिकित्सा सेवाए विभाग, मंत्रालय, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग)
2. निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाए, छ.ग शासन, घड़ी चौक के पास, रायपुर (छ.ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

(एकल पीठः माननीय सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश)

याचिकाकर्तागण के लिएः	श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण के लिएः	सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता

निर्णय एवं आदेश

(09/07/2009 को पारित)

1. याचिकाकर्ता, जो पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं, इस रिट याचिका द्वारा 25 मार्च, 2003 (अनुलग्नक पी/12) की वरिष्ठता सूची को निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता आगे एक परमादेश रिट की मांग कर रहे हैं, जिसमें उत्तरवादीगण/प्राधिकारियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से उन्हें वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्तागण को 5/24 सितंबर, 1973 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर तब तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था जब तक कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से उचित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो गए और उनकी नियुक्ति नहीं हो गई। तदर्थ आधार पर कार्य करते हुए, याचिकाकर्ता लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 (डॉ. पी.एस. श्रीवास्तव) की नियुक्ति 5 दिसंबर, 1975 के आदेश (अनुलग्नक पी/2, क्रमांक 134) द्वारा की गई थी और याचिकाकर्ता क्रमांक 2 (डॉ. आर.पी. सोनी) की नियुक्ति 23.5.1978 के आदेश (अनुलग्नक पी/3, क्रमांक 14) द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन द्वारा की गई थी। याचिकाकर्तागण की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल और विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शर्मा के अनुसार, याचिकाकर्तागण को उनकी स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई थी, वरिष्ठता सूची के अनुसार, 1.3.2003 को, जिसमें याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का नाम क्रम संख्या 19 पर और याचिकाकर्ता क्रमांक 2 का नाम क्रम संख्या 30 पर रखा गया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 5/24 सितंबर, 1973 से वरिष्ठता दी जानी चाहिए थी। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. श्री जायसवाल ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 5/24 सितंबर, 1973 से वरिष्ठता के हकदार हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और नियुक्त होने तक सेवा में बने रहे। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने जी.पी. डोभाल एवं अन्य विरुद्ध मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[1], सीधी भर्ती वर्ग-□□ इंजीनियरिंग

[1] ए.आई.आर 1984 एस.सी 1527

अधिकारी संघ एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य[2], कैलाश चंद्र राजावत विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य[3], जगदीश लाल एवं अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य[4] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया।

5. श्री जायसवाल ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि डॉ. ए.के. बापट नामक एक समान स्थिति वाले व्यक्ति को तदर्थ आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तदर्थ आधार पर वरिष्ठता प्रदान न करना भेदभावपूर्ण है।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुनीता जैन ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में सितंबर, 1973 में तदर्थ आधार पर की गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्तागण की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं थी। यह रोजगार की संवैधानिक योजना के विरुद्ध थी। इस प्रकार, सुस्थापित विधिक सिद्धांत के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी तदर्थ नियुक्ति की अवधि के लिए किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्तागण को मौजूदा नियमों के अनुसार, पद पर उनकी स्थायी/नियमित नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य एवं अन्य विरुद्ध ई. परिपूर्णम एवं अन्य[5], तथा पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य विरुद्ध अघोर नाथ डे एवं अन्य[6] के निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क में डॉ. बापट, जो एक समान स्थिति वाले व्यक्ति हैं, को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तदर्थ आधार पर वरिष्ठता प्रदान करने में भेदभाव के संबंध में है, डॉ. बापट को आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल न करने के कारण विचारणीय नहीं है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 5.11 में केवल एक पंक्ति का अनुरोध किया है कि डॉ. बापट को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है।

---

[2] ए.आई.आर 1990 एस.सी 1607

[3] 1994 सुप (1) एस.सी.सी 71= ए.आई.आर 1993 एस.सी 2462

[4] (1997) 6 एस.सी.सी 538= ए.आई.आर 1997 एस.सी 2366

[5] ए.आई.आर 1992 एस.सी 1823

[6] (1993) 3 एस.सी.सी 371

इस प्रकार, डॉ. बापट के पक्ष में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें पक्षकार-उत्तरवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

9. 5/24 सितंबर, 1973 के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति तदर्थ आधार पर, अस्थायी थी, लोक सेवा आयोग द्वारा पुष्टि के अधीन नहीं थी, जैसा कि याचिकाकर्तागण ने तर्क दिया है। याचिकाकर्तागण की नियुक्ति एक अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में थी, जब तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से उचित और विधिक रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। याचिकाकर्तागण का यह भी प्रकरण नहीं है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तदर्थ आधार पर उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण की नियुक्ति को किसी भी दृष्टिकोण से वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक अल्पकालिक व्यवस्था थी जब तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से चयनित डॉक्टर नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हो जाते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) और अन्य[7] में तदर्थ आधार पर नियुक्ति के प्रकरण में। यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोज़गार में प्रवेश करता है या संविदा या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है और यह नियुक्ति संबंधित नियमों या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन पर आधारित नहीं है, तो वह अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक प्रकृति की नियुक्ति के परिणामों से अवगत होता है। ऐसा व्यक्ति पद पर स्थायी होने के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता, जब पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित प्रकरणों में, लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही की जा सकती है। अतः, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अस्थायी, संविदा या आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह भी नहीं माना जा सकता कि राज्य ने इन व्यक्तियों को नियुक्त करते समय उनसे कोई वादा किया है कि वे जहाँ हैं, वहीं बने रहेंगे या उन्हें स्थायी करेंगे। राज्य संवैधानिक रूप से ऐसा वादा नहीं कर सकता। यह भी स्पष्ट है कि पद पर स्थायी होने की सकारात्मक राहत पाने के लिए इस सिद्धांत का आह्वान नहीं किया जा सकता।"

---

[7] 2006 (4) एस.सी.सी 1

11. इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध देश राज[8] प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"7. ऐसे नियमितीकरण नियमों का तात्पर्य और अभिप्राय चाहे जो भी हो, सचिव, कर्नाटक राज्य विरुद्ध उमादेवी (3) के प्रकरण में इस न्यायालय के हालिया संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार, अब यह पूरी तरह से स्थापित है कि यदि नियुक्तियाँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना का उल्लंघन करते हुए की जाती हैं, तो वे अवैध हो जाएँगी और इस प्रकार, प्रारंभ से ही शून्य हो जाएँगी। अतः, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वैधानिक या संवैधानिक योजना के उल्लंघन में कोई नियमितीकरण नियम नहीं बनाया जा सकता था।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य एवं अन्य विरुद्ध प्रसन्ना कुमार साहू[9] के प्रकरण में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"19. जैसा कि सर्वविदित है, नियमितीकरण भर्ती का कोई तरीका नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य में कार्यरत नहीं है, भर्ती नियमों का पालन किए बिना समाहित करने का नीतिगत निर्णय उसे कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) एवं अन्य {(2006)4 एससीसी 1} प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह अधिनिर्धारित किया है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, याचिकाकर्तागण की नियुक्ति को विधि के अनुसार नियुक्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह संवैधानिक योजना के विरुद्ध थी, बिना समान स्थिति वाले व्यक्तियों के प्रकरणों पर विचार किए।

14.।4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी.पी. डोभाल (पूर्वोक्त) प्रकरण में, जिस का याचिकाकर्तागण ने अवलंब लिया था, निम्नलिखित अवलोकन किया:

"15. ..... इस प्रकार यह सुस्थापित है कि जहाँ स्थानापन्न नियुक्ति के बाद स्थायीकरण होता है, जब तक कि कोई विपरीत नियम न दर्शाया गया हो, स्थानापन्न नियुक्ति के रूप में की गई सेवा को वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित करने के लिए निरंतर पदावनति की अवधि की गणना के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। यद्यपि, ऐसा नहीं किया गया है और वरिष्ठता सूची उस तिथि से तैयार की जाती है जिस दिन लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा के प्रत्येक सदस्य के संबंध में अनुमोदन/चयन किया गया था, जो स्पष्ट रूप से

---

[8] (2007) 1 एस.सी.सी 257

[9] ए.आई.आर 2007 एस.सी 2588

अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है और इस अमान्य आधार पर तैयार की गई किसी भी वरिष्ठता सूची को निरस्त किया जाना चाहिए।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधी भर्ती वर्ग-II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ (पूर्वोक्त) प्रकरण में, जिस का याचिकाकर्तागण ने अवलंब लिया था, निम्नलिखित अवलोकन किया:

"44. संक्षेप में, हम मानते हैं कि:

(क) एक बार जब किसी पदधारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जानी चाहिए, न कि उसकी स्थायीकरण की तिथि से। उपरोक्त नियम का उपफल यह है कि जहाँ प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है, यद्यपि एक अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पद पर नियुक्ति को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(ख) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की जाती है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमितीकरण तक पद पर निर्बाध रूप से कार्य करता रहता है, तो कार्यवाहक सेवा गिनी जाएगी"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कैलाश चंद्र राजावत (पूर्वोक्त), जिस पर याचिकाकर्तागण ने अवलंब किया, इस प्रकरण को इस आधार पर अलग कर दिया गया कि कर्मचारी की नियुक्ति अस्थायी थी, न कि अल्पकालिक व्यवस्था। इस प्रकरण के तथ्य अलग हैं।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश लाल (पूर्वोक्त), जिस पर याचिकाकर्तागण ने अभिनिर्धारित किया, में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"11. ..... यह देखा गया है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी संवर्ग/ग्रेड में नियुक्त किया जाता है, वह उस पद पर नियुक्ति की तिथि से अपनी निरंतर सेवा अवधि के कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर देता है और उसकी वरिष्ठता उस तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि उसे केवल अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में या तदर्थ आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता है और नियमों का उल्लंघन नहीं करता है.....

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ई. परिपूर्णम (पूर्वोक्त) प्रकरण में, जिस का उत्तरवादीगण ने अवलंब लिया था, निम्नलिखित अवलोकन किया:

"14. इसके अतिरिक्त, नियम 10(ए) (i)(1) अस्थायी नियुक्तियाँ करने का प्रावधान करता है, जब किसी रिक्ति को तुरंत भरने के लिए उत्पन्न आपात स्थिति के कारण जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो। ऐसी नियुक्तियाँ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

नहीं बल्कि अन्यथा की जाती हैं। वर्तमान प्रकरण में उत्तरवादीगण को अस्थायी रूप से और नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था। बाद में उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए अन्य लोगों के साथ चुना गया था। वे वरिष्ठता के लिए अपनी अस्थायी सेवा की गणना करने के हकदार नहीं थे..."

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अघोर नाथ डे (पूर्वोक्त) प्रकरण में, जिसका उत्तरवादीगण ने अवलंब लिया था, निम्नलिखित अवलोकन किया:

"26 उपरोक्त के अनुसार, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्तागण (इन सभी अपीलों में उत्तरवादी) का यह दावा कि 26 फरवरी, 1980 से पहले की उनकी पूरी सेवा अवधि को वरिष्ठता के उद्देश्य से नियमित सेवा माना जाए और तदनुसार उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाए, असमर्थनीय है। श्री सांघी का यह तर्क कि उनकी प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति को नियमों के अनुसार माना जाना चाहिए क्योंकि आपातकाल के कारण वैकल्पिक तरीके से, अर्थात् पाँच मुख्य अभियंताओं की एक समिति द्वारा चयन किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1959 के नियमों का नियम 11 आपातकाल के दौरान नियुक्तियों का प्रावधान करता है, और यह निर्धारित करता है कि आपातकाल के दौरान ऐसी नियुक्तियाँ केवल विज्ञापन और साक्षात्कार के माध्यम से, लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल के माध्यम से की जा सकती हैं। बेशक, नियम 11 में इस स्पष्ट आवश्यकता का पालन या पूर्ति नहीं की गई और अतः, प्रारंभिक तदर्थ नियुक्तियों को लागू नियमों के अनुसार नहीं माना जा सकता। ये तदर्थ नियुक्तियाँ स्पष्ट रूप से नियमों के अनुसार नहीं थीं और केवल एक निश्चित अवधि के लिए अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में की गई थीं, जैसा कि नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि वर्तमान प्रकरण महाराष्ट्र इंजीनियर्स प्रकरण के निष्कर्ष (ए) में दिए गए परिणाम के दायरे में आते हैं और अतः, रिट याचिकाकर्तागण (उत्तरवादीगण) की 26 फरवरी, 1980 से पहले सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ सेवा की अवधि को उनकी वरिष्ठता की गणना के लिए नहीं गिना जा सकता है।

20. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में एक सामान्य सूत्र यह स्पष्ट करता है कि यदि नियुक्ति, अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में और तदर्थ आधार पर नियमों के अनुसार नहीं की गई है, तो ऐसे पद पर नियुक्ति को वरिष्ठता के प्रकरण में विचार के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकरण में, याचिकाकर्तागण की प्रारंभिक नियुक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उनकी नियुक्ति अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में थी, जब तक कि लोक सेवा आयोग द्वारा उचित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते और उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। इस

प्रकार, याचिकाकर्तागण का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधी भर्ती वर्ग-II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ (पूर्वोक्त) प्रकरण में दिए गए पैरा 44(ए) की अवलोकन से पूरी तरह आच्छादित है, जिस पर बाद में विभिन्न निर्णयों द्वारा विचार किया गया और उसकी पुष्टि की गई। उमा देवी (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि संवैधानिक रोजगार योजना के विरुद्ध और नियमों के अनुसार नहीं की गई कोई भी नियुक्ति अवैध है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को सेवा जारी रखने, नियमितीकरण आदि का कोई अधिकार नहीं है। किसी अवैध नियुक्ति को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करके कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता।

21. दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो, याचिकाकर्तागण की सेवा शर्तें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 (संक्षेप में 'नियम, 1961') द्वारा शासित होती हैं, जैसा कि उस समय लागू था। नियम, 1961 को उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा यथावत रूप में अनुकूलित किया गया है। नियम 12 (क) सीधी भर्ती के प्रकरण में वरिष्ठता का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. वरिष्ठता —- किसी सेवा या उस सेवा की किसी विशिष्ट शाखा या पदों के समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात-

(क) सीधी भर्ती ~(i) परिवीक्षा पर नियुक्त सीधे भर्ती किए गए सरकारी सेवक की वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से उसकी परिवीक्षा के दौरान गिनी जाएगी:

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय पर परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिए चुने गए हों, तो इस प्रकार चुने गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार होगी जिसमें आयोग द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी, उन प्रकरणों में जहाँ नियुक्तियाँ आयोग से परामर्श के बाद की जाती हैं, और अन्य प्रकरणों में चयन के समय, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी।

(ii) सामान्य परिवीक्षा अवधि की पुष्टि होने पर पारस्परिक वरिष्ठता का वही क्रम बना रहेगा। यद्यपि, यदि किसी सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की अवधि बढ़ा दी जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जो सामान्य परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर दी गई होती या उसे निम्नतर वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(ख) xxxxx

(ग) xxxx

22. उपर्युक्त नियम, अर्थात् नियम 1961 का नियम 12 (क) (ii), माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एम.पी. चंदोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य[10], मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध रामकिंकर गुप्ता एवं अन्य[11] और ओम प्रकाश श्रीवास्तव विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य[12] के प्रकरण में विचाराधीन किया गया।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. चंदोरिया (पूर्वोक्त) प्रकरण में नियम 1961 के नियम 12 और 13 की जांच करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया:

"5. नियम 12 के अंतर्गत, किसी जिला शाखा या उस सेवा के पदों के समूह के सेवा सदस्यों की वरिष्ठता, उसमें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। खंड (क) के उपखंड (i) में यह परिकल्पना की गई है कि सीधे भर्ती किए गए शासकीय कर्मचारी की परिवीक्षा पर नियुक्त वरिष्ठता, उसकी नियुक्ति की तिथि से उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान गिनी जाएगी; यह प्रावधान प्रासंगिक नहीं है। उपखंड (ii) में यह परिकल्पना की गई है कि सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का समान क्रम, परिवीक्षा की सामान्य अवधि की पुष्टि द्वारा बनाए रखा जाता है। यद्यपि, यदि किसी सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को वह तिथि निर्धारित करनी चाहिए जिससे उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जाए। जब तक परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं हो जाती और उसे पद पर स्थायी नहीं कर दिया जाता, तब तक वह सेवा का सदस्य नहीं बनता। परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने और निर्धारित परीक्षाओं या परिवीक्षा अवधि पूरी होने की घोषणा से पूर्व शर्तों को उत्तीर्ण करने पर। अतः, केवल एक वर्ष का समय बीत जाने से परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवा का सदस्य बनने का हकदार नहीं हो जाता। वह अस्थायी सेवा पर बना रहता है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को उसे किसी लंबित उपलब्ध पद पर स्थायी कर देना चाहिए या उसे अर्ध-स्थायी दर्जा प्रदान करना चाहिए। जैसे ही पद उपलब्ध हो, उसे स्थायी कर दिया जाना चाहिए। इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, नियुक्ति प्राधिकारी ने विचार किया कि उनकी वरिष्ठता उनकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से गिनी जाएगी। नियम 12(क)(ii) स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को इन परिस्थितियों में, लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता से निचले स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार देता है। हमें अधिकारियों द्वारा उनकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं दिख रही है।

---

[10] (1996) 11 एस.सी.सी 173

[11] (2000) 10 एस.सी.सी 77

[12] 2006 एस.सी.सी (एल एण्ड एस) 107

24. रामकिंकर गुप्ता (पूर्वोक्त) प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. पी. चंदोरिया (पूर्वोक्त) प्रकरण में की गई टिप्पणियों को, अनुमोदनपूर्वक, निम्नानुसार दोहराया गया:

"9. नियम 12 के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसार, वर्तमान जैसे प्रकरण में, जहाँ किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और बाद में उसकी पुष्टि हो गई थी, नियुक्ति प्राधिकारी को यह निर्णय लेना है कि उसे किस तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में राज्य सरकार का निर्णय था कि उसे 19-1-1984 से वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों पर इस न्यायालय द्वारा एम.पी. चंदसंदरिया विरुद्ध एम.पी. राज्य के प्रकरण में विचार किया गया है। चंदोरिया प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत यह था कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान की गई वरिष्ठता से निचले स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार है। अतः उत्तरवादी क्र.1 को 19-1-1984 से वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय 19-1-1984 को जारी किया गया आदेश नियमों के अनुरूप है।"

25. ओम प्रकाश श्रीवास्तव (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"11. एम.पी. चंदोरिया प्रकरण के सिद्धांतों को दोहराते हुए रामकिंकर गुप्ता प्रकरण में यह माना गया कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से निचले स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति जिसकी न तो पुष्टि हुई है, न ही उप-नियम (6) के अनुसार उसके पक्ष में कोई प्रमाण पत्र है, और न ही उप-नियम (4) के तहत सेवा से मुक्त किया गया है, वह नियमों के नियम 8 के उप-नियम (7) में निर्दिष्ट अधिकारियों की श्रेणी में आएगा। दूसरे शब्दों में, उसे परिवीक्षा की समाप्ति की तिथि से एक अस्थायी शासकीय कर्मचारी माना जाएगा। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी के प्रकरण में स्थिति अलग होगी।"

26. प्रस्तुत प्रकरण में, याचिकाकर्ता क्र. 1 की नियुक्ति 5.12.1975 को हुई थी और 29.3.1988 को उनकी स्थायी नियुक्ति हुई थी, न कि दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के तुरंत बाद। याचिकाकर्ता क्र. 2 की नियुक्ति 23.5.1978 को हुई थी, लेकिन स्थायीकरण की तिथि स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागण ने दो वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है। इस प्रकार, दो वर्ष के भीतर परिवीक्षा अवधि पूरी न करने के कारण,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के हकदार नहीं हैं।

27. उपर्युक्त कारणों से, याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……K.RADHIKA……..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur